आयोजनागत- राज्य सेक्टर

संख्या-49/2015-2504/चौदह-4-2015-500(53) /2014

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

**वन अनुभाग-4** **लखनऊ, दिनांक, 24 नवम्बर, 2015**

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान सं0-60-के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत पीलीभीत टाइगर रिजर्व हेतुपुनर्विनियोग के माध्यम से विभिन्न मदों मेंधनराशि रू0 7531 हजार की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयकअपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-पी-403/36-टी-15(प्रो0टा0) दिनांक 18 सितम्बर, 2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्विनियोग के प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये अनुदान संख्या-60 आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अन्तर्गत राजस्व लेखा के मानक मद-12, 16, 18, 46, 47, व 51 में हो रही बचतों क्रमश: रू0 1.50 लाख, रू0 1.00 लाख, रू0 2.00 लाख, रू0 3.80 लाख, रू0 4.50 लाख व रू0 5.00 लाख, प्रोजेक्ट एलीफैन्ट योजना के अन्तर्गत राजस्व लेखा के मानक मद-29 व 42 में हो रही बचतों क्रमश: रू0 26.50 लाख व रू0 1.02 लाख, इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स के अन्तर्गत राजस्व लेखा के मानक मद-29 में हो रही बचत रू0 19.05 लाख तथा इन्टेंसीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत् राजस्व लेखा के मानक मद-02, 29, व 42 में हो रही बचतों क्रमश: रू0 7.54 लाख, रू0 1.76 लाख तथा रू0 1.64 लाख हो रही बचत में से कुल रू0 75.31 लाख पुनर्विनियोजन आदेश संख्या-2504ए/14-4-2015-500(53)/2015, दिनांक 24 नवम्बर, 2015 (प्रति संलग्न)द्वारा पुनर्विनियोजित धनराशि रू0 75.31 लाख (रू0 पचहत्तर लाख इक्तीस हजार मात्र)की वित्तीय स्वीकृति निम्न लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| लेखाशीर्षक | धनराशि (रू0 हजार में) |
|---|---|
| अनुदान सं0-60-आयोजनागत | |
| **राजस्व लेखा-** | |
| 2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनागत | |
| 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव | |
| 110-वन्य जीव परिरक्षण | |
| 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | |

http://shasanadesh.up.nic.in

| | |
|---|---|
| 0128- प्रोजेक्ट टाइगर | |
| 02-मजदूरी | **6651** |
| 08-कार्यालय व्यय | **100** |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई | **75** |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | **700** |
| 44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | **5** |
| योग राजस्व लेखा- | **7531** |

**(रू0 रूपये पचहत्तर लाख इक्तीस हजार मात्र)**

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमानआदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय।

2- वस्तुओं का क्रयस्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए01132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 07.01.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए01191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- अनुदान/भारित विनियोग के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग की कार्य के प्रकृति एवं अवसर के अनुसार विचार करते हुए जहाँ तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय और स्वीकृतियाँ/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जाये। विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय तथा ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

4- योजनानतर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

7- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।

8- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

9- स्वीकृत धनराशि का व्यय अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी के उक्त पत्र सं0-पी-403/36-टी-15(प्रो0टा0) दिनांक 18 सितम्बर, 2015 दिनांक 23.09.2015 में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2504(1)/चौदह-4-2015-500(53) /2014 तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- प्रभागीय वनाधिकारी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।/ अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in